



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के अभियुक्त को **07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा** दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2017, धारा- 498ए,304बी भा0द0सं0 3/4 दहेज अधि0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **सतीश पुत्र सत्तीदीन** नि0गण ग्राम भैंसाय थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को **07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000/-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री अशोक
कुमार शुक्ला



विवेचक
सीओ श्री विवेकानन्द
तिवारी



पैरोकार थाना मुस्करा
का0 ज्ञानेन्द्र सिंह